Draft दिनांक 20.08.2021

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021

राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु स्वीकृत/चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु इस विषय पर विद्यमान समस्त नीतियों, शासनादेश व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट, जिससे भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1)	इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2		इस नीति में जब तक इस सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
		(क)	''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
		(ख)	''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
		(ग)	''आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;
		(घ)	''कलेक्टर'' से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
		(ड)	"निदेशक'' से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
		(च)	"निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी'' से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;
		(छ)	''स्थानीय अधिकारी'' से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त कार्य करता है, अभिप्रेत है;
		(ज)	''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;
		(झ)	''रिवर ड्रेजिंग'' से नदी के जल प्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी/जलाशय /नहर के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;
		(ट)	"आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण" से नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी/जलाशय/नहर में निक्षेपित मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई/हटाना अभिप्रेत है;
		(ठ)	"शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है;
रिवर ड्रेजिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सत्यापन एवं मात्रा का	3	(1)	ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदेरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की

आंकलन			मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी:– (क) उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष (ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि – सदस्य (ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता – सदस्य (घ) भू–वैज्ञानिक/खान अधिकारी – सदस्य (ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय – सदस्य
		(2)	चिन्हिकरण के उपरान्त चिन्हित क्षेत्र का आधुनिक तकनीक से ड्रोन सर्वे कराया जायेगा।
		(3)	अनुज्ञा दिये जाने के उपरान्त प्रत्येक 15 दिन पर रिवर ड्रेजिंग कार्य की प्रगति हेतु आधुनिक तकनीक से ड्रोन सर्वे कराया जायेगा। ड्रोन सर्वे मे निकासी की गयी मात्रा, मानकों के अनुरूप चैनेलाईजेशन आदि बिन्दु के सम्बन्ध में आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
		(4)	चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा का आंकलन तथा उक्त मात्रा की निकासी/निस्तारण हेतु समयवधि का निर्धारण गठित समिति के द्वारा अपनी आख्या में किया जायेगा।
चिन्हित स्थलों में जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाये जाने की प्रक्रिया	4		समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को हटाने/निस्तारित के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य होंगे:– 1. मूल निवास प्रमाण पत्र। 2. खान अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन अदेयता प्रमाण पत्र। 3. जी०एस०टी० नं०। 4. ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र। 5. मूल्यांकित धनराशि के 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैक का बैंक ड्राफ्ट।
ड्रेजिंग कार्य की समय सीमा (Time line)	5	(क)	आपदा प्रभावित/सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं ड्रोन सर्वे का कार्य 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
		(ख)	चिन्हित क्षेत्रों से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने के लिये खुली नीलामी (**Open Auction**) की कार्यवाही माह दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए 15 जनवरी तक कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।
		(ग)	मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने का कार्य यथा सम्भव 31 मई तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
		(घ)	कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य किया जायेगा।
रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि	6		आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा अधिकतम 04 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। अन्यन्त अपरिहार्य/विशेष परिस्थिति में अनुज्ञात मात्रा के मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित न हो पाने की दशा में अतिरिक्त समयावधि

			निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन की पूर्वानुमति से प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु अनुज्ञात मात्रा निस्तारित न हो पाने के कारणों को अभिलिखित किया जाना आवश्यक होगा।
मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अनुमत गहराई	7		मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु नदी के जल स्तर तक अनुमति दी जायेगी।
मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति	8		मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदीपुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मीटर छोड़ते हुए, आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे०सी०बी०, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।
मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण के सापेक्ष देय धनराशि	9	(1)	मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क/टैक्स लिया जायेगा। मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।
विविध	10	(1)	ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जो ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत आशय पत्र धारित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां प्रति वर्ष मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निक्षेपित/जमा होने से आबादी व कृषि भूमि प्रभावित हो रही हो, को चिन्हित कर सिल्ट/उपखनिज की सफाई उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।
		(2)	रिवर ड्रेजिंग कार्य हेतु ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां बिन्दु सं०–4 के अन्तर्गत खुली नीलामी की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उपखनिज को उठाने/सफाई में रूचि न ली गयी हो तो ऐसे चिन्हित क्षेत्रों को राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा आवेदन करने पर गठित समिति की आख्या के आधार पर एवं सभी देयकों का भुगतान किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकेगी कि वे निकाले गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का व्यवसायिक उपयोग नही करेंगे।
		(3)	अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट आदि के भण्डारण हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भण्डारण की अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।
शिथलीकरण/स्पष्टीकरण	11		उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के सुसंगत प्राविधानों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण एवं स्पष्टीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।